न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 04/2023
दायर दिनांक : 07/07/2023
निर्णय दिनांक : 09/10/2025

उनवान

1 प्रभुलाल पिता गोपीलाल खटीक निवासी बबराणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1.श्री पवन जयसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बबराणा में आ०न० 2166/882 रकबा 0.50 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.50 है० जो कि प्रार्थी के पिता का नाम गोपीलाल है लेकिन हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गोटू दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेज, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, जनाधार कार्ड, साबिक जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 नामातंरण दिनांक 09.02.1977 आदि में प्रभु लाल पिता गोपीलाल ही दर्ज है जिसका इंद्राज दुरूस्त कर गोटूलाल के बजाय गोपीलाल नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। वजह सबूत उक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां साथ संलग्न है। दिनांक 23.08.2022 को राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी की नकल लेने से नाम गलत इंद्राज की जानकारी होने से बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2022 को पैदा होकर निरंतर जारी है। अप्रार्थी तहसीलदार, भूपालसागर भूमिधारी होने से प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाए गए है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में गोटू दर्ज है जिसका इंद्राज दुरूस्त कर गोटू के बजाय गोपीलाल नाम दर्ज किए जाने का आदेश संबंधी निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र अनुसार शुद्धि किया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। उभयपक्ष की बहस अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए प्रार्थना पत्र की कॉलम 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम गोटू बजाय गोपीलाल किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, भूपालसागर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बबराना की आ.सं. 2166/882 रकबा 0.50 है. में प्रार्थी का नाम गोटु के बजाय गोपीलाल अंकित किया जावे। उक्त निर्णय से भूमि के रकबा एवं नक्शा में किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित नहीं होगा। निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.13 14:01:03 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(सहायक कलक्टर) एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर